

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी  
विद्यावारिधि उपाधि अध्यादेश २०२४

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के कार्यालय द्वारा संचालित कुलपति ७४८९/२०२४ दिनांक ०६/११/२०२४ के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की पारा ५२ की उपाधि ३ के अन्तर्गत सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की विद्यावारिधि (Ph.d.) उपाधि के लिए पूर्ण प्रवार्तित शोध अध्यादेश का निरानन्द करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम २०२२ के सारांश उपवनों को स्वीकार किया जाता है। उक्त उपवनों की पूल भावना प्रभावित किये दिया इस विश्वविद्यालय की आवश्यकतागुल्मि निर्मांकित उपवन स्थापित किया जाता है।

#### १.० लघु शीर्षक अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन

१.१ इन विनियमों को सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, २०२४ कहा जाएगा।

१.२ विश्वविद्यालय की शोध उपाधि का नाम 'विद्यावारिधि (पीएच.डी.)' होगा। इस उपाधि की स्पष्टता के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्गत किये जाने वाले प्रगाणपत्र में आंग्लभाषा में पीएच.डी (Doctor of Philosophy) लिखा जायेगा। प्रगाणपत्र में शोधशीर्षक और विषय का उल्लेख किया जानेगा। प्रगाणपत्र में यह भी उल्लिखित होगा कि विद्यावारिधि की उपाधि 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, २०२२ के प्रावनानों के अनुसर' प्रदान की जा रही है।

१.३ ये विनियम सत्र 2024-25 से प्रभावी होंगे।

#### २.० परिभाषाएँ

(१) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) है।

(ख) "अनुबंधक संकाय" का अर्थ है एक अंशकालिक या आकरिक प्रशिक्षक, लेकिन पूर्णकालिक संकाय सदस्य नहीं, जो एक उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है।

(ग) "संचित ग्रेड घाइट और सत्र (सीजीपीए)" का अर्थ सभी सेमेस्टर में एक छात्र के समग्र संचित प्रदर्शन का परिणाम है। सीजीपीए सभी सेमेस्टर में विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा अर्जित कुल क्रेडिट अंकों तथा

13 ११२०२४ २९.३.२५ विद्यावारिधि २९.३.२५ २९.३.२५ २९.३.२५  
२१.३.२५ २९.३.२५ २९.३.२५ २९.३.२५ २९.३.२५ २९.३.२५

24.3.25 29.3.25 29.3.25

४- विभागाध्यक्ष

सदस्य

५- सम्बन्धित विषय में कुलपति द्वारा नियुक्त वा वाह्य विशेषज्ञ-

सदस्य

६- उपकुलपति, शैक्षिक

संयोजक

२१.२ विभागीय शोध समिति ( DRC) का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा।

१- विभागाध्यक्ष-

अध्यक्ष

२- समरत विभागीय आचार्य-

सदस्य

३- एक विभागीय सह-आचार्य (वरिष्ठता क्रम से ३ वर्षों के लिये चक्रानुक्रम द्वारा)- सदस्य

४- एक विभागीय सहायक-आचार्य (वरिष्ठता क्रम से ३ वर्षों के लिये चक्रानुक्रम द्वारा)- सदस्य

५- मार्गनिर्देशक तथा सह-मार्गनिर्देशक (यदि कोई हो)- सदस्य

२१.३ शोध सत्राहकार समिति ( RAC) का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा।

१- निदेशक, अनुसन्धान -

अध्यक्ष

२- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष-

सदस्य

३- समस्त विभागीय आचार्य-

सदस्य

४- कुलपति द्वारा नामित सम्बन्धित विषय का एक वाह्य विशेषज्ञ- सदस्य

५- मार्गनिर्देशक तथा सह-मार्गनिर्देशक (यदि कोई हो)- सदस्य

विशेष- किसी भी परिस्थिति में किसी भी नियम की अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् द्वारा उग्र्युक्त विनियमों के प्रावधानों में संशोधन/ परिवर्तन या उसके निरतीकरण का सुझाव विश्वविद्यालय के कार्यपारिषद् को प्रेपित किया जा सकता है। कार्यपारिषद् द्वारा लिये गये निर्णय मात्र होंगे।

लिखा जायेगा २९/०३/२५

विष्वविद्यालय  
२९/०३/२५

लिखा जायेगा २९/०३/२५

8

राम  
२९/०३/२५

विष्वविद्यालय  
२९/०३/२५

लिखा जायेगा २९/०३/२५

12

- (६) "उच्चतर शिक्षण संरचना" का अर्थ इन विभिन्नों के लिए उनके लिए उनके लिए विभिन्न विभागों द्वारा संरचना है।
- (७) "गांतीर्थीयक शोध" का अर्थ है वो या यो यो विभिन्न विभागों में प्राप्त ही, शोधर्थी द्वारा किया गया शोध।
- (८) "पुस्तक एवं दूररथ ज्ञानार्जन माध्यम" का यही अर्थ होगा जो यूनिसी (पुस्तक एवं दूररथ ज्ञानार्जन माध्यम एवं आगलाइन कार्यक्रमों) विभिन्न, २०२० के तहत परिभासित है;
- (९) आगलाइन माध्यम का यही अर्थ होगा जो यूनिसी (पुस्तक एवं दूररथ ज्ञानार्जन माध्यम एवं आगलाइन कार्यक्रमों) विभिन्न, २०२० के तहत परिभासित है।
- (१०) "सालिलिक चोरी" का अर्थ है किसी और के कार्य या विचार को ख्वार के गूँड़ कार्य के स्वरूप में प्रकाशित कराना।
- (११) "कार्यक्रम" का अर्थ अधिनियम की धारा २२ की उप-धारा (३) के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट उपायि के लिए अपनाये जाने वाला उच्चतर शिक्षण कार्यक्रम है।
- (१२) "विवरण-पुस्तिका" का अर्थ है कोई भी प्रकाशन, चाहे वह प्रिंट में हो या अन्यथा, उच्चतर शिक्षण संस्थान और कार्यक्रमों से संबंधित सर्वसाधारण जनता को (ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक हो) निष्पक्ष और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा जारी किया गया हो।
- (१३) "शोध प्रस्ताव" का अर्थ है प्रत्यावित शोध कार्य की स्पष्टीकरण देने वाला एक संक्षिप्त आलेख जो पीएच.डी. कार्यक्रम हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ पीएच.डी. अधर्थी द्वारा प्रत्युत किया जाएगा।
- (१४) "विश्वविद्यालय" का अर्थ एक केंद्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम, या एक राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निर्मित एक उच्चतर शिक्षण संस्थान है, और इसमें अधिनियम की धारा ३ के तहत एक मानित विश्वविद्यालय के स्वरूप में पाना जाने वाला उच्चतर शिक्षण संस्थान शामिल होगा।
- (१५) इन विभिन्नों में प्रयुक्त और परिभासित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, लेकिन अधिनियम में पर्याप्त और इन विभिन्नों के अनुरूप नहीं हैं, उनका अर्थ क्रमशः उस अधिनियम में दिया जाएगा।
- (१६) पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदण्ड-निम्नवत् अधर्थी पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने देने पात्र है।
- (१७) वे अधर्थी जिन्होंने पूरा कर लिया है-

विष्वविद्यालय  
29/03/2025  
A.C. (अधिकारी)  
29.3.25  
C.R. (प्राप्त)  
29.3.25  
R.M. (प्राप्त)  
29.3.25

रागी सेमेटर में रागी पाठ्यक्रमों के यूस क्रेडिट के लिए या अनुमति है। इसे दर्शाना के लिए आनंद ग्रहण करके लिया जाता है।

(ii) "फ्रेडिट" का अर्थ है एक सेमेटर की अवधि में प्रति वार्षिक अध्ययन के पांचों की संख्या। यह सेमेटर में तीन-फ्रेडिट पाठ्यक्रम का अर्थ है प्रति वार्षिक एक घंटे के लिए एक फ्रेडिट के स्पष्ट में गिना जा सकता है।

(d.) 'पहाड़ियालय' का अर्थ है उच्चतर शिक्षण और/या अनुसंधान में संलग्न एक संस्था, जिसे या तो किसी विश्वविद्यालय द्वारा इसकी पटक इकाई के रूप में स्थापित किया गया है या इससे संबद्ध है।

(e) "आयोग" का अर्थ यूजीसी अधिनियम १९५६ की धारा ४ के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है।

(f) "कार्यक्रम" का अर्थ उन विशिष्ट इकाइयों में से एक है जो अध्ययन के एक कार्यक्रम को शामिल करती है।

(g) "क्रोस वर्क" का अर्थ है स्कूल/विभाग/केंद्र द्वारा पीएच.डी. उपाधि के लिए पंजीकृत शोधार्थी के अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम;

(h) "उपाधि" का अर्थ है अधिनियम की धारा २२ (३) के प्रावधानों के अनुसार किसी उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की गई उपाधि;

(i) "वाय्य परीक्षक" का अर्थ है एक शिक्षाविद/छात्रवृत्ति प्राप्त शोधकर्ता जो शोधकार्य प्रकाशित होने के राय उस उच्चतर शिक्षण संस्थान में नियोजित नहीं है जहां पीएच.डी. शोधार्थी ने पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है।

(j) "प्रदीर्घ शैक्षिक संस्थान" का अभिप्राय- (i) उस देश में विधिवत स्थापित या निर्गमित ऐसे संस्थान से है जो आने देश में स्नातक, स्नातकोत्तर और उच्च स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम पेश करता हो और (ii) जो पारंपरिक मुख्यमुख्य तरीके के माध्यम से डिग्री प्रदान करने के लिए अध्ययन के कार्यक्रम(ओं) की पेशकश करता है, ना कि ऑनलाइन मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम से।

(k) "फ्रेड वाइंट" का अर्थ है १०-विंदु पैमाने पर प्रत्येक अध्यार फ्रेड को आवंटित संख्यात्मक भार

(l) "ग्राह/शोध पर्यवेक्षक" का अर्थ है उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त एक शिक्षाविद/शोधकर्ता जो पीएच.डी. शोधार्थी और उसके शोध की निगरानी करें।

*29.03.25* *29/03/25* *29/03/25* *29/03/25* *29/03/25*

*29.03.25* *29/03/25* *29/03/25* *29/03/25* *29/03/25*

*76* F:\Old Computer\Word\KP\2025\03 04 2025

*विठ्ठल लाल*



(3) वैश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो पीएच.डी. कार्यक्रम चलाने के पात्र हैं, वे  
 i. दाखिले हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषय/विषय-वार रायिताण, दाखिले का मानदण्ड, शोधियों  
 द्वारा एकेया और अभ्यार्थियों के लिए अन्य गांग रायत जानकारी को निर्दिष्ट करते हुए  
 मास्थान को वेबसाइट पर एक विवरण-पुस्तिका को पहले से ही घृणित करें,  
 ii. राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरक्षण नीति का धर्मार्थिति अनुपालन करें।

(4) उच्चतर शिक्षण संस्थान पीएच.डी. पर्यवेक्षकों की एक सूची का रख-रखाव (पर्यवेक्षक का नाम, उपका  
 पदनाम और विभाग/स्कूल/केंद्र निर्दिष्ट करते हुए), पीएच.डी. के लिए पंजीकृत शोधों के विवरण के साथ  
 (पंजीकृत पीएच.डी. छात्र का नाम, उनके शोध का विषय और दाखिले की तारीख का उल्लेख करते हुए)  
 आपने वेबसाइट पर अपलोड करें और हर शैक्षणिक वर्ष में इस सूची को अद्यतन करें।  
 आपने वेबसाइट पर अपलोड करें और हर शैक्षणिक वर्ष में इस सूची को अद्यतन करें।  
 शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण-शोध पर्यवेक्षक, सह-पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक के  
 लिए अनुमेय पीएच.डी. शोधार्थियों की संख्या, आदि।

(1) उच्चतर शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले स्थायी संकाय सदस्य  
 जिन्होंने पीएच.डी. प्राप्त करने के साथ पीयर-रिव्यू या रांदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम पांच शोध प्रकाशित  
 किए हैं और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले स्थायी संकाय सदस्य  
 जो पीएच.डी. उपाधि धारक हो तथा जिनके द्वारा पीयर-रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम तीन शोध  
 प्रकाशन प्रकाशित किए गए हों हों उन्हें विश्वविद्यालय अध्या इसके संबद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों/संस्थानों में  
 शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है जहां वे कार्यरत हैं। ऐसे मान्यता प्राप्त शोध पर्यवेक्षक अन्य  
 संस्थानों में शोधार्थियों के पर्यवेक्षक नहीं हो सकते हैं, पर वहां वे केवल सह-पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर  
 सकते हैं। अगर पीएच.डी. की एक उपाधि एक विश्वविद्यालय द्वारा एक ऐसे संकाय सदस्य की देखरेख में  
 प्रदान की जाती है जो उस विश्वविद्यालय या उसके संबद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों/संस्थानों का कर्मचारी नहीं  
 है, तो इसे इन विनियमों का उल्लंघन माना जाएगा केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अनुसंधान संस्थानों में  
 कार्यरत पीएच.डी. शोधार्थी जिनकी डिग्री उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाती है, ऐसे शोध संस्थानों के  
 वैज्ञानिक जो प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर के समकक्ष हैं, उन्हें पर्यवेक्षक के रूप में किसी व्यक्ति  
 या मान्यता के लिए उपरोक्त शर्त में छूट दे सकता है।  
 एक ही विभाग या एक ही संस्थान के अन्य विभागों या अन्य संस्थानों के सह-पर्यवेक्षकों को सक्षम प्राप्तिकारी  
 के अनुमति से अनुमति दी जा सकती है। अनुबंध संकाय सदस्य (एडजन्ट कैल्टी) शोध पर्यवेक्षक नहीं हो  
 सकते, वे केवल सह-पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं।  
 (2) नारीशयक/वहविषयक अनुसंधान कार्य के मापदंड में, यदि आवश्यक हो, विभाग/स्कूल/केंद्र

*लिपि लिखी दिया गया*  
*21/03/2025* *अधिकारी* *शोध संकाय*  
*29.3.25*

(२) संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान के सांविधि/अध्यादेश के अनुसार पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम दो (२) वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है; बश्ते, कि पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से आठ (८) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

बश्ते कि, महिला पीएच.डी. शोधाधियों एवं दिग्गंग भक्तियों (४० प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले) को तो (२) वर्षों की अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि, पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा करने वीं कुल अवधि ऐसे मान्यते में पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से दरा (१०) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(३) महिला पीएच.डी. शोधाधियों को पीएच.डी. कार्यक्रम की पूरी अवधि में २४० दिनों तक के लिए मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

#### ५. प्रवेश की प्रक्रिया-

(१) प्रवेश, यूजीरी और अन्य संबंधित वैधानिक/नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति का

पालन करते हुए, संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदंडों पर आधारित होगा।

(२) पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश निम्नलिखित विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है-

(क) उच्चतर शिक्षण संस्थान एक साक्षात्कार के आधार पर यूजीरी-नेट/यूजीरी-रीएसआईआर नेट/गेट/रीईडी और इसी तरह के राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं। और/या

(घ) उच्चतर शिक्षण संस्थान अपने स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं। प्रवेश परीक्षा में ५० प्रतिशतप्रश्न शोध पद्धति तथा ५० प्रतिशत विशिष्ट विषय के पूछे जाएंगे।

(ग) प्रवेश परीक्षा में ५० प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले अर्थात् साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे।

(घ) आयोग द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जनजाति/अन्य गिरजा वर्ग/दिल्ली वर्ग, अर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए प्रवेश परीक्षा में ५ प्रतिशत अंकों की छूट की अनुमति दी जाएगी।

(इ.) उच्चतर शिक्षण संस्थान उपलब्ध पीएच.डी. रीटी की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले पात्र छात्रों की संख्या तय कर सकते हैं।

(ज) बश्ते कि, उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए ७० प्रतिशत और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन के लिए ३० प्रतिशत का महत्व दिया जाएगा।

*लिखित अनुमति* *विषयक्रिया* *नियमित विषय* *प्रतिशतप्रश्न*  
*२९.०३.२५* *२९.०३.२५* *२९.०३.२५* *२९.०३.२५*  
*मानदंड* *मानदंड* *मानदंड* *मानदंड*  
*२९.०३.२५* *२९.०३.२५* *२९.०३.२५* *२९.०३.२५*

मानविद्यालय/विश्वविद्यालय के बाहर सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

(3) किसी एक समय में एक पात्र प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर क्रमशः आठ (८) /छह (६)/चार (४) पीएच.डी. छात्रों का पार्श्वदर्शन कर सकते हैं।

(4) विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी पीएच.डी. महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आंकड़ों को ऐसे उच्चतर शिक्षण संरचना को अंतरित करने की अनुमति होगी। जहाँ शोधार्थी पुनः जाना चाहे वश्ते कि इन विनियोगों के अन्य सभी निवंधन और शर्तों का शब्दशः पालन किया जाए तथा शोध किसी भूल राग्धान/पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्त पोषण एजेंट से प्राप्त न किया गया हो। तथापि, शोधार्थी गूल संरचना के पार्श्वदर्शन तथा संरचना के पूर्व में किए गए शोध कार्य के, लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा।

(5) ऐसे संकाय सदरय जिनकी सेवानिवृत्ति को तीन वर्ष से कम की अवधि वर्द्धी है उन्हें आगे पर्यवेक्षण में ना। शोधार्थियों को लेने की अनुमति नहीं होगी। वश्ते कि, हालांकि, ऐसे संकाय आपनी सेवानिवृत्ति तक पहले गो ही पंजीकृत शोधार्थियों का पर्यवेक्षण जारी रख सकते हैं और सेवानिवृत्ति के पश्चात् सह-पर्यवेक्षक के रूप में ७० वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही कार्य कर सकते हैं उसके बाद नहीं।

#### ७. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश-

(1) प्रत्येक पर्यवेक्षक पीएच.डी. शोधार्थियों की अनुमति संख्या के ऊपर दो अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थियों को एक अतिरिक्त आधार पर पार्श्वदर्शन कर सकता है, जैसा कि ऊपर खंड ६.३ में निर्दिष्ट है।

(2) उच्चतर शिक्षण संरचना संविधित सांविधिक/नियापक निकायों द्वारा राग्ध-राग्ध पर जारी दिशा-निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का पीएच.डी. में दाखिले के लिए आपनी चयन प्रक्रिया स्वयं तय कर सकते हैं।

८. निर्माणी भी समय, पीएच.डी. छात्रों की कुल संख्या, एक संकाय सदरय के अधीन या तो पर्यवेक्षक या सह-पर्यवेक्षक के रूप में छात्रों की संख्या खंड ६.३ और खंड ७.१ में निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी।

९- कोर्स वर्क- क्रेडिट आवश्यकताएं, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम, पूरा करनेके लिए न्यूनतम मानदण्ड आदि।

(1) पीएच.डी. कोर्स वर्क के लिए कम से कम ३२ क्रेडिट की आवश्यकता होगी, जिसमें “शोध और प्रकाशन नीतिक्रता” कोर्स, जैसा कि यूनीसी द्वारा डी.ओ.पि. सं. १-१/२०१८ (जनल/केपर) २०१६ में अधिसूचित है और जिसमें एक शोध पद्धति पाठ्यक्रम शामिल है। शोध सलाहकार समिति पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में यूनीसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की रिफारिश भी कर सकती है।

(2) गभी पीएच.डी. शोधार्थी को आगे डॉक्टरेट अवधि के द्वारा अद्यायन के विषय की परवाह किए विना आगे न चुने हुए पीएच.डी. विषय से संविधित शिक्षण/शिक्षाशास्त्र/लेखन में प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे। पीएच.डी. शोधार्थियों को न्यूटोरियल या प्रयोगशाला कार्य और गूल्यांकन के संचालन के लिए प्रति सप्ताह

१-६ घंटे शिक्षण/शोध सहायक के कार्य भी सौंपे जा सकते हैं।

(3) पाठ पीएच.डी. शोधार्थी को पीएच.डी. कार्यक्रम को जारी रखने और आपनी शोध प्रवंधन (धीसिस) जमा

१० ऐसे तरु पात्र होने के लिए ज्ञानम् ५५ प्रतिशत तक या शोधार्थी २० पाई तक होने में सक्षम होना चाहिए।

### १०. शोध सलाहकार समिति और उपकरण

(1) प्रोफ. पीएच.डी. भाव के लिए एक शोध सलाहकार समिति होनी या शास्त्रीय नियम, लैंगा वा गवाहिया वा इस संघर्ष के वर्तन्ते/उपर्योगों में पारामार्श दिया जाना चाहिए। शोधार्थी के शोध परियोजना के सम्बोधन होने और इस समिति के उपर्योगिता नियम होने।

i. शोध परियोजना की समीक्षा करना और शोध के शास्त्रीय को अनुग्रह देना।

ii. शोधार्थी को अधिकारीय तथा शोध परियोजना के नियमाला करने के लिए आवंटित प्रदान करना जाना। यह पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रम (अ) की फलान करना।

iii. प्रोफ.डी. शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति वा आवंटित समीक्षा और प्रगति में सहायता करना।

(2) लोक सेपेटरा में एक वार पीएच.डी. शोधार्थी शोध सलाहकार समिति के साथ आवंटित होना चाहिए। तथा आगे का आवंटित प्राप्त करने के लिए आगे कार्य की प्रगति पर एक विशेष ज्ञान होने और प्रत्युति देने। शोध सलाहकार समिति पीएच.डी. शोधार्थी की प्रगति एप्टोट की एक प्रगति के साथ आगे सिफारिश संबंधित उच्चतर शिक्षण संघर्ष को प्रत्युति देनी। यहाँ सिफारिशों की एक प्रति पीएच.डी. शोधार्थी को जी उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) यह पीएच.डी. शोधार्थी की प्रगति आंतोपजनक हो तो, शोध सलाहकार समिति इसके वारांगों को दर्ज करेंगी और सुआरात्मक उपाय सुझाएंगी। यह पीएच.डी. शोधार्थी इन सुआरात्मक उपायों को कार्यान्वयित करने में विकल रहता है तो शोध सलाहकार समिति विशेष कारण दर्ज कर पीएच.डी. शोधार्थी के गंतीकरण को दर्ज करने की सिफारिश कर जाकरी है।

11. अधिक प्रदान करने के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण फलतियां न्यूनतम पानदाढ़/ क्रेडिट, आदि-

(1) उच्चक्रम का काम संतोषजनक हुंग से पूर्य करने और उपरोक्त विवेयम् ए के लिए (अ) में निर्दिष्ट अंक/ट्रेड प्राप्त करने पर, पीएच.डी. शोधार्थी को शोध कार्य करने और एक प्रार्थीय शोध प्रवंश/रीपोर्ट प्रत्युति करने की आवश्यकता होती है।

(2) इस प्रवंश/रीपोर्ट ज्ञान करने से पूर्य, पीएच.डी. शोधार्थी संवेदित उच्चतर शिक्षण संघर्ष की शोध मनाहकार समिति के समक्ष एक प्रत्युति देगा जिसमें सभी संघर्ष मदाय तथा उन्हें शोधार्थी/विद्यार्थी जारीभत होंगे।

(3) उच्चतर उच्चतर शिक्षण संघर्ष के पास शोध कार्य में आवंटित चोरी का पता लगाने के लिए गृहिणी वा आवंटित अनुप्रयोगों वा उपयोग करने वाला एक तंत्र वा लैना आवश्यक हो और शोध परियोजना पीएच.डी. उपर्योग प्रदान करने के नियम सभी शोध परियोजनाओं का एक अपना अंग होगा।

(4) यह ही शोधार्थी मूल्यांकन हेतु शोध प्रवंश/रीपोर्ट प्रत्युति कोषा, जिसके साथ (अ) शोधार्थी ये एक नवनव वा प्राप्त करना होगा जिसमें यह आवश्यक दिया जाएगा ताकि नियमों की परामर्शदाता विद्यार्थी को

नहीं हुई है और, (ख) शोध पर्यवेक्षक द्वारा शोध प्रबंध/धीरिसा की मौलिकता के अनुप्रगाणन तथा ॥॥  
उपाधि पत्र जागा करना होगा, जिसमें यह आशारान दिया जाएगा कि यह शोध प्रबंध किसी अन्य उच्चतर  
शिक्षण संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिल्कोगा के पाठ्यक्रम करने के लिए धीरिसा जागा नहीं किया गया है।

(5) किसी भी पीएच.डी. शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत पीएच.डी. शोध प्रबंध/धीरिसा का मूल्यांकन उसके शोध  
पर्यवेक्षक और कग से कग दो ऐसे बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो संबंधित शेत्र में विशेषज्ञ हो और  
संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान में नियोजित नहीं हो। ऐसे परीक्षक वे शिक्षाविद होंगे जिनको संबंधित विषय  
शेत्र में विद्वान्पूर्ण प्रकाशन की सुविकृति प्राप्त हो। यथारांभत, बाह्य परीक्षकों में से एक को भारत के बाहर से  
देश में विद्वान्पूर्ण प्रकाशन की सुविकृति प्राप्त हो। यथारांभत, बाह्य परीक्षकों में से एक को भारत से  
देश में विद्वान्पूर्ण प्रकाशन की सुविकृति प्राप्त हो। यथारांभत, बाह्य परीक्षकों में से एक को भारत से

देश में विद्वान्पूर्ण प्रकाशन की सुविकृति प्राप्त हो। यथारांभत, बाह्य परीक्षकों में से एक को भारत से देश  
संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान में नियोजित नहीं हो। ऐसे परीक्षक वे शिक्षाविद होंगे जिनको संबंधित विषय

(6) शोध प्रबंध/धीरिसा के पक्ष में शोधार्थी की मौखिक परीक्षा केवल उस रिक्ति में आयोजित की जाएगी  
जब दोनों बाह्य परीक्षक उनके द्वारा सुझाए गए सुधारों को शामिल करने के बाद धीरिसा को स्वीकार करने की  
सिफारिश करते हैं। यदि इन बाह्य परीक्षकों में से कोई एक अखीर्ति की रिफारिश करता है, तो संबंधित  
मौखिक परीक्षा केवल तभी आयोजित की जाएगी जब वैकल्पिक परीक्षक धीरिसा की स्वीकृति की रिफारिश करता  
है। यदि वैकल्पिक परीक्षक धीरिसा की स्वीकृति की अनुशंसा नहीं करता है, तो धीरिसा को अखीकार कर  
है। यदि वैकल्पिक परीक्षक धीरिसा की स्वीकृति की अनुशंसा नहीं करता है, तो धीरिसा को अखीकार कर

(7) संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान पीएचडी के मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया वाइवा-वॉयस परिणाम की घोषणा  
सहित पीएच.डी. धीरिसा, धीरिसा जमा करने की तारीख से ४४ (६) महीने की अवधि के भीतर पूरी करेगा।  
१२. पीएच.डी. कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए महाविद्यालयों द्वारा पूर्ण की जाने वाली शैक्षणिक,

अनुसन्धान प्रशासनिक और अवसंरचनात्मक अपेक्षाएं-

(1) वे स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो ४-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम और/या स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाते हैं, पीएच.

डी. कार्यक्रम चला सकते हैं। बशर्ते, वे इन विनियमों के अनुरूप पत्र शोध पर्यवेक्षकों, अपेक्षित अवसंरचना

तथा सहायक प्रशासनिक और अनुरांधन सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हों।

(2) केवल साकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित वे महाविद्यालय और शोध संस्थान जिनकी डिग्री उच्चतर  
शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है, पीएच.डी. कार्यक्रम की पेशकश कर सकते, बशर्ते कि उनके पास:-

i. एक महाविद्यालय में कग से कग दो संकाय सदाय या शोध संस्थान में दो पीएच.डी. उपाधि धारक

दैज़ानिक होनेवाहिए।

ii. उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा निर्दिष्ट पर्याप्त बुनियादी ढांचा, प्रशासनिक सहायता,  
अनुसन्धान सुविधाएं और पुरतकालय संसाधन की व्यवस्था हो।

*1. निर्दिष्ट पर्याप्त बुनियादी ढांचा, प्रशासनिक सहायता,  
अनुसन्धान सुविधाएं और पुरतकालय संसाधन की व्यवस्था हो।*  
2. २५.३.२५ २५.३.२५ २५.३.२५

**१३. अंशकालिक शिक्षा पत्रिका के माध्यम से पीएच.डी.-**

(1) अंशकालिक पत्रिका के माध्यम से पीएच.डी. कार्डकारों को गताने की अनुमति दी जाएगी वरते ही इन विनियमों में विविहित रूपी शर्तें पूरी हों।

(2) संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान को अंशकालिक पीएच.डी. के लिए अधिकारी के माध्यम से उस संस्थान के सभा अधिकारी द्वारा निर्णय एक "अनापूर्ण प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होगा जहाँ अधिकारी कार्रवात है और जिसमें यह स्पष्ट हो यह उल्लेख किया गया हो कि:

i. अधिकारी ने अंशकालिक आवार वापर करने की अनुमति है।

ii. उनके अधिकारिक कर्तव्य उन्हें शोण के लिए पार्टिस राष्ट्र देने की अनुमति है।

iii. यों आवश्यक हुआ तो उन्हें कोसि वर्क पूरा करने के लिए कार्यालय से पुक्त कर दिया जाएगा।

(3) वर्तमान में लागू इन विनियमों अधारा किसी अन्य कानून में अविवित किसी भी बात के बावजूद, कोई भी उच्चतर शिक्षण संस्थान या कोई सरकार या सभ्य सरकार का शोण संस्थान दूसरथ और/या ऑनलाइन पत्रिका के माध्यम से पीएच.डी. पाठ्यक्रम नहीं निर्माण।

१४. ए.पि.ल. उपाधि की स्वीकृति-उच्चतर शिक्षण संस्थान एम.फिल.(पास्टर ऑफ फिल्मोरफी) उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

१५. रानतिम प्रमाणपत्र जारी करना-उपाधि को वाराव में प्रदान करने से पूर्व उपाधि प्रदान करने वाला उच्चतर शिक्षा संस्थान इस आशय का एक अनतिम प्रमाणपत्र जारी करेगा कि उपाधि, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गई है।

१६. इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व पीएच.डी. उपाधि प्रदान करना-इन विनियमों के अधिनियमन से पहले शुरू होने वाले एम.पि.ल. उपाधि कार्डकार इन विनियमों की किसी भी बात से अप्रभावित रहेगा। ऐसे अधिकारी जो पीएच.डी. पाठ्यक्रमों के लिए ११ जुलाई, २००६ को अध्यात्म उराके पश्चात, इन विनियमों की अधिसूचना तक पंजीकृत हुए थे, ऐसे अधिकारी को उपाधि प्रदान किया जाना, गू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, २००६ अध्यात्म विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम २०१६ के प्रावधानों सारा शारीत होगे। इन विनियमों के अधिनियमन से पहले प्रारंभ एम.फिल. उपाधि कार्डकार का इन विनियमों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

१७. इमेलबेट के साथ डिपोजिटरी-पीएच.डी. उपाधि(यों) को आइड करने हेतु मूलांकन प्रक्रिया के राफल आवाहन के पश्चात् तथा पीएच.डी. उपाधि को प्रदान किये जाने की घोषणा से पूर्व, संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान पीएच.डी. शोष प्रबंधन की इलेक्ट्रॉनिक प्रति इनप्रिलेटर के पास प्रदर्शित (टोर) करने के लिए जमा करेगा जिस सभी उच्चतर और अनुरांगान संस्थानों को यह सुनाय हो।

*1. एम.फिल. पाठ्यक्रम क्रियाक्रिया २१/०३/२५ विवरण २१/०३/२५*  
*२०१८/२५ नव २५/०३/२५ विवरण २०१८/२५*  
*२०१८/२५ नव २५/०३/२५ विवरण २०१८/२५*

१८. विश्वविद्यालय अनुसार आयोग/ विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् द्वारा उपायक नियमों के तांत्रिक में कोई परिवर्तन या संशोधन किये जाने की रिक्ति में संशोधित- नियम विश्वविद्यालय में तत्काल प्रभाव में लागू होकर किये जायेगे।

१८.१ साम्पूणनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी विद्यावारिषि नियमावली 2024 के किरी नियम की अपराह्नता की रिक्ति में कुलपति की संतुति के उपरान्त स्पष्टीकरण के लिये विद्यापरिषद् के विचारार्थ प्रतुत किया जायेगा।

१८.२ विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् द्वारा इस विनियम के प्रावधानों में संशोधन, परिवर्तन या उसके निररतीकरण का सुझाव विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् को किया जा सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

१९. पुनः पंजीकरण- पुनः पंजीकरण के लिए शोधार्थी द्वारा दिए गए कारण एवं उनके शोधनिर्देशक, विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष की संतुति के बाद अनुसन्धान उपाधि समिति शोधकार्य के परीक्षणोपरान्त अनुमति प्रदान कर सकता है। पुनः पंजीकरण करवाने की अवधि दो वर्ष की होगी। सम्बन्धित शोध छात्र को पुनः पंजीकरण की अवधि में शोध प्रबन्ध जमा करवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा पंजीकरण निरस्त माना जायेगा।

२०. शोधप्रबन्ध की भाषा- शोधप्रबन्ध की भाषा सामान्यतः संस्कृत, पाली अथवा प्राकृत होगी। विशेष परिस्थिति में अनुसन्धान-उपाधि-रामिति हिन्दी या भोट भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकती है। भाषाविज्ञान, सामाजिक विज्ञान विभाग तथा शिक्षाशास्त्र के शोधप्रबन्ध अनुसन्धान-उपाधि-रामिति की अनुमति से हिन्दी भाषा में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

२१. शोध समितियां- विद्यापरिषद् के निर्देशन में विश्वविद्यालय को विद्यावारिषि-उपाधि से सम्बन्धित राष्ट्रीय भाषाओं के सम्बन्ध में इन विनियमों के सापेक्ष निम्नलिखित समितियां विश्वविद्यालय में कार्य करेंगी।

१- विश्वविद्यालयीय शोध समिति (Research Degree Committee of the University (RDUC)).

२- विभागीय शोध समिति (Departmental Research Committee (DRC)).

३- शोध सलाहकार समिति (Research Advisory Committee (RAC)).

२१.१- विश्वविद्यालयीय शोध समिति (RDUC) का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा।

१- कुलपति अध्यक्ष

२- सम्बन्धित संकायाध्यक्ष- सदस्य

३- निदेशक, अनुसन्धान सदस्य

11  
१८.०१.२५ विद्यावारिषि-उपाधि-रामिति २९.०३.२५ २९.०३.२५ २९.०३.२५ २९.०३.२५ २९.०३.२५

- ५- विभागाध्यक्ष सदस्य  
 ६- सम्बन्धित विषय में कुलपति द्वारा नियुक्त दो वाह्य विशेषज्ञ- सदस्य  
 ६- उपकुलरायित, शैक्षिक संयोजक

२१.२ विभागीय शोध समिति ( DRC) का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा।

- १- विभागाध्यक्ष- अध्यक्ष  
 २- समरत विभागीय आचार्य- सदस्य  
 ३- एक विभागीय सह-आचार्य (वरिष्ठता क्रम से ३ वर्षों के लिये चक्रानुक्रम द्वारा)- सदस्य  
 ४- एक विभागीय सहायक-आचार्य (वरिष्ठता क्रम से ३ वर्षों के लिये चक्रानुक्रम द्वारा)- सदस्य  
 ५- मार्गनिर्देशक तथा सह-मार्गनिर्देशक (यदि कोई हो)- सदस्य

२१.३ शोध सलाहकार समिति ( RAC) का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा।

- १- निदेशक, अनुसन्धान - अध्यक्ष  
 २- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष- सदस्य  
 ३- समरत विभागीय आचार्य- सदस्य  
 ४- कुलपति द्वारा नामित सम्बन्धित विषय का एक वाह्य विशेषज्ञ- सदस्य  
 ५- मार्गनिर्देशक तथा सह-मार्गनिर्देशक (यदि कोई हो)- सदस्य

**विशेष-** किसी भी परिस्थिति में किसी भी नियम की अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् द्वारा उपर्युक्त विनियमों के प्रावधानों में संशोधन/ परिवर्तन या उत्तरके निररक्तीकरण का सुझाव विश्वविद्यालय के कार्यपालिका को प्रेसिड किया जा सकता है। कार्यपालिका द्वारा लिये गये निर्णय भान्य होंगे।

*प्रियकृति २९.०३.२५*      *विष्वविद्यालय २९.०३.२५*      *मौर्य २९.०३.२५*  
*२९.०३.२५*      *२९.०३.२५*      *२९.०३.२५*